

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 85/AEV/N.B.C./2025-26

Dated: 30.04.2025

Certified that the existing building ST. JOSEPH SCHOOL (name of the building or premises) at KAMALPUR, CHANDOLI (address) comprised of -N.A.- basement(s) and GROUND + THREE (upper floors) owned/occupied by ST. JOSEPH SCHOOL, KAMALPUR (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of P.W.D. CHANDOLI (Name of Department/ Govt.) on 30.04.2025 (date of inspection) in the presence of ARTI JHA (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes X (X/ XII) with effect from 30.04.2025 for a period of 01 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. All responsibility to the Construction and
2. Structural design of the school building
3. will be the responsibility of the management
4. of the school managers

Issued on 30.04.2025 at KAMALPUR by

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal : Assistant Engineer

Provincial Division

Name : P.W.D. Chandoli

Designation : 30/4/25

Name & Address of Department/ Office: _____

(Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only)

Note: This certificate should be signed / issued by Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चन्दौली

पत्रांक- 70 / MRC/26-27
सेवा में,

दिनांक- 21 / 08 / 2026

✓ प्रबन्धक

सेन्ट जोसेफ स्कूल,
कमालपुर, जनपद चन्दौली।

विषय:- नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका प्रार्थना-पत्र दिनांक-10.08.2026

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-89/अइसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक-11.01.2019 तथा संख्या-196/अइसठ-3-2020-2018 दिनांक-29.06.2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सेन्ट जोसेफ स्कूल, कमालपुर, जनपद चन्दौली के भवन की जाँच की गई जिसमें विद्यालय भवन के निर्माण की गुणवत्ता नेशनल बिल्डिंग कोड वर्ष 2005 के अनुसार संतोषजनक प्रतीत हो रहा है जिसमें आख्या 22 बिन्दुओं की चेकलिस्ट में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है तथा किसी भी प्रकार का भूमि से सम्बन्धित वाद-विवाद उत्तपन्न होने पर यह जारी किया गया प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। शेष भवन के स्ट्रक्चरल, डिजाईन आदि का दायित्व प्रबन्धन समिति का होगा।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
चन्दौली
21/8/26

नेशनल बिल्डिंग कोड (भूकम्परोधी) चेकलिस्ट प्रमाण-पत्र

विद्यालय का नाम- सेंट जोसेफ स्कूल, कजालपुर, जनपद चन्दौली

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकार/सहाय अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिला से अधिक ऊँचा है ?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हे० 18000 वर्गमी० है ?	नहीं
5	क्या भवन के चारों तरफ 6 मी० खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ/नहीं
7	क्या भवन का ओरियन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (अप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	हाँ
9	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गई ?	हाँ
10	क्या भवन की दिवार ईट या पत्थर की सिमेन्ट मसालों से बनी है ?	हाँ
11	क्या भवन की दिवारों/छतों में कैंक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की उचाई फर्श से न्यूनतम 3.60 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.00 मी०) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (वाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00 मी० एवं उचाई 4.50 मी० है ?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ/नहीं
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ? क्या भवन की वैद्यता 20 वर्ष तक है ?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों के न्यूनतम गॉप (चौड़ाई 1.00 मी० उचाई 2.00 मी०) है ?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?/क्या भवन का प्लास्टर कराया गया है ?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी० ट्रेड 300 मि०मी० तथा साइजर 150 मि०मी० है ?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशमक यन्त्र (Fire Extinguisher) तथा ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler system) उचित स्थान पर लगे हैं ?	अग्निशमन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है।
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लायन्सेज (First aid fire fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	उपरोक्त
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	उपरोक्त
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First aid Box) की व्यवस्था है ?	हाँ


सहायक अभियन्ता
 प्राथमिक एवं फोर्निकरी वि०,
 चन्दौली